<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 260/2021 दायर दिनाँक 14.09.2021

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. सांवताराम पुत्र अर्जनराम 2. मोडुराम पुत्र अर्जनराम 3. प्रभूराम पुत्र अर्जनराम 4. बाजूदेवी पत्नि रामनिवास समस्त जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. भू—प्रबंधक अधिकारी सीकर

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **21.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 338 रकबा 0.1900 हैक्टे0, खसरा सं0 339 रकबा 1.3400 हैक्टे0, खसरा सं0 344 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 345 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 346 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 347 रकबा 4.5700 हैक्टे0 वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वादीगण के उक्त खेत खसरा स0 339 में अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खसरा सं0 338 रकबा 0.1900 हैक्टे0 नजरी नक्शे में मार्क ए से बी किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी। जबकि नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी सड़क मौके पर कभी भी दर्ज नही थी। वास्तविक रूप से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क सी से डी ही रास्ता मौके पर प्रारम्भ से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खातेदारान द्वारा उक्त रास्ते का ही आवागमन के रूप में उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

यह है कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा सं0 338 की किस्म गै0मु0 सड़क मार्क ए से बी गलत दर्ज कर दी है जिससे वादी को वादी को कृषि कार्य करने तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इससे भविष्य में कई समस्याओं का सामना करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

आंशका है तथा वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 338 गै0 मु0 सड़क दर्ज होने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है।

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है:–

यह है कि खसरा सं0 338 की किस्म गै0 मु0 सड़क हटाया जाकर नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए से बी भाग की भूमि वादीगण की कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के क्रमांक/रीडर/2022/1737 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट में दर्शित मौका का नजरी नक्शे के अनुसार खसरा सं0 341 गै0 मु0 रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनी हुइ है जो आवागमन हेतु प्रयोग में आ रही है। तथा खसरा सं0 338 का मौके पर कोई अस्तित्व नही है, खसरा सं0 339 व 338 माकै पर एक ही है, खसरा सं0 338 मौके पर कृषि कार्य हेतु काम में लिया जा रहा है व मौके पर रास्तेके आलामात भी नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना खसरा सं0 338 की किस्म गै0मु0 सड़ंक के स्थान पर वादी की कृषि भूमि दर्ज की जाती है तथा खसरा सं0 338 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित गै0 मु0 सड़क को हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 21.09.2022 को सुरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:41 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 260/2021 दायर दिनाँक **14.09.2022**

वादीगण
1. सांवताराम पुत्र अर्जनराम
2. मोडुराम पुत्र अर्जनराम
3. प्रभूराम पुत्र अर्जनराम
4. बाजूदेवी पत्नि रामनिवास समस्त जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण
1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना
2. भू–प्रबंधक अधिकारी सीकर

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनाँक **21.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना खसरा सं0 338 की किस्म गै0मु0 सड़ंक के स्थान पर वादी की कृषि भूमि दर्ज की जाती है तथा खसरा सं0 338 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित गै0 मु0 सड़क को हटाया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही द[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner